

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 2018  
29 चैत्र, 1940 (शक)

का. आ.....(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 15 मार्च, 2018, जिसे का.आ. 1144 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के हिंदी संस्करण में सारणी-1 के क्र.सं. 9 पर वर्णित पोस्त बीज का टैरिफ मूल्य "3485 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन" के स्थान पर "2485 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन" पढ़ा जाये।

[फा. सं. 467/01/2018-सीमा शुल्क-V]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार